

धन्नालाल बनाम शवानुन (बगैरा)

सूचना प्र.पत्र III-12-8 नं० 56 सन 2021

हुकम या कार्यवाही का इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम का हुकम
हुकम की कार्यवाही
में जारी है

30/4/21 वाड / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर विपरीतगण को समान नोटिस जारी किये जाते । पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

30-4-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18/5/21 को पेश हो।

18/5/21 उभय पक्ष ने न्यायिक कार्य से बाहर हो जाने पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

उपखण्ड 3 सी माण्डल

9-6-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30-6-21 को पेश हो।

15/10/21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के संयोग अभियान केम्प भगवानपुर में पेश हुई अप्रार्थितगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, परिवारी परिवार हल्का द्वारा विपरीत पेश हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मम्बर से करा हो



डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड 3 सी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संयोग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

संख्या :- 36/21 प्रा.पत्र

श्री. राजा लाल शं. श्री गौपी कुमावत निवासी - हाजरो कारखंडा त. मंडल

बनाम

श्री. राजा लाल शं. श्री गौपी कुमावत निवासी - मगवानपुरा तहसील मांडल (भीलवाड़ा)
(प्रशासनिक प्रकरण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मगवानपुरा पटवार हल्का मगवानपुरा तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी 5035/1429 5436/1429 कुल किता 02 रकबा 0-50-59 हेक्टेयर स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुत्तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30-3-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मगवानपुरा पटवार हल्का मगवानपुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी 5035/1429 5436/1429 कुल किता 02 रकबा 0-50-59 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक मगवानपुरा को 400/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर पत्थरगद्दी की जावें ।

जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021